माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण कमांक .... / 2017 रिवीजन

1. हरीबाबू शर्मा पुत्र श्री प्रयागनारायण शर्मा ,उम्र–80, व्यवसाय–कृषि ,पता– पुरानी बस्ती, श्री कृष्ण गली, चौबे फैक्ट्री भिण्ड (म0प्र0) ....आवेदकगण
2. श्री बाबू पुत्र प्रयागनारायण शर्मा, उम्र लगभग 60 वर्ष व्यवसाय– कृषि, पता–ग्राम कुरथरा तहसील भिण्ड जिला भिण्ड

बनाम

1. म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर भिण्ड प्रबंधक राधा बल्लभ मंदिर हनुमान बजरिया भिण्ड जिला भिण्ड म0प्र0
2. श्रीमती मंजू गोस्वामी पत्नी स्व. श्री बृजेश गोस्वामी, उम्र– 40 वर्ष, व्यवसाय– शासकीय नौकरी (शिक्षिका) पता– राधाबल्लभ मंदिर बजरिया भिण्ड म0प्र0 ..
3. न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी परगना व जिला भिण्ड म0प्र0 ....अनावेदकगण

रिवीजन अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 ।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी परगना व जिला भिण्ड ने प्र0क0 110 / 15–16 अ–41 दिनांक 16.09.2016 को आदेश पारित किया तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत धारा 52 एम.पी.एल.आर.सी. का स्थगन आवेदन पत्र दिनांक 16.09.2016 के आदेश द्वारा निरस्त किया।

आवेदक ने आदेश दिनांक 16.09.16 के विरूद्ध प्रथम रिवीजन प्रस्तुत की है आवेदक ने आदेश दिनांक 16.09.16 के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में न तो रिवीजन प्रस्तुत की है और न हीं खारिज हुई है।

आवेदकगण की ओर से रिवीजन निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

तीन / निगरानी / भिण्ड / भू0रा0 / 2017 / 2199 जिला–भिण्ड

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-08-17	आवेदकों के अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी परगना जिला–भिण्ड के प्र0क्र0 110 / अ–41 / 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 16.09.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा–50 के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है। जिसके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक की ओर से संहिता की धारा 52 के अंतर्गत स्थगन के आवेदन को अस्वीकार किया है। आवेदक को माननीय उच्च न्यायालय में रिटपीटीशन क्रमांक 7333 / 2016 / डब्ल्यू पी में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा चार हफ्ते में निगरानी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है। जिसके पश्चात आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत ग्राह्यता के तर्कों एवं प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों के छायाप्रति का अवलोकन किया। इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी ने ग्राम कुरथरा, जिला–भिण्ड स्थित शासकीय भूमि पर किये गये जुर्माने के आदेश पर स्थगन न देते हुये आवेदक का संहिता की धारा 52 आवेदन पत्र अस्वीकार किया है। अनुविभगीय अधिकारी द्वारा आवेदक की ओर शासकीय	

भूमि पर किया गया अतिक्रमण के कारण लगे जुर्माने पर रोक लगने से इंकार किया है। संहिता की धारा 52 के अंतर्गत स्थगन प्रकरण में स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये प्रदान किया जाता है तथा स्थगन दिया जाता है तथा स्थगन दिया जाना स्वाविवेक अधिकार है। अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत संहिता की धारा 52 का आवेदन अस्वीकार किया है, जिसे त्रुटिपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। दर्शित परिस्थितियों में आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एम0एस0अली)
सदस्य